समाचार

मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 2100 रू. जुर्माना

कोरबा 03 अक्टूबर 2020 –मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर निगम अमले द्वारा अपने विभिन्न जोनांतर्गत 2100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लोगों को समझाईश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन न करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार टी.पी.नगर जोन में 900 रूपये, सर्वमंगला जोन में 800 रूपये तथा बांकीमोंगरा जोन में 400 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर किया गया।

निगम क्षेत्र में 826 होम आईसोलेट, 457 आईसोलेशन से डिस्चार्ज– नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड–19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 826 मरीज होम आईसोलेट हैं, वहीं 457 व्यक्तियों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 91, टी.पी.नगर जोन में 93, रविशंकर शुक्ल जोन में 103, कोसाबाड़ी जोन में 208, बालको जोन में 105, दर्री जोन में 118, सर्वमंगला जोन में 56, बांकीमोंगरा जोन में 52 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।